

5/6/2024
कापती पक्ष। इसी वकील वादी अनुपस्थित हैं वही
स्वयं भी अनुपस्थित हैं। इनकी ओर से कोई अन्य
वकील भी उपस्थित नहीं हैं। बार बार आवाजे
लागवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी
उपस्थित नहीं है। अतः राजस्व वाफ पत्र अद्य
दाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार से। नम्बर से एक चेकर
दाखिल हफ़तर से।

SDP
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)